PD ok

शहरी विकास विभाग
9वॉ तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई. पी इस्टेट, नई दिल्ली–110002

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 72

दिनांक :– 09/08/2017

प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री आदर्श शास्त्री

क्या उपमुख्यमंत्री/ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

प्रश्न	उत्तर
(क) द्वारक़ा विधान सभा की पिछड़ी सामाजिक–आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार की इस विधान सभा के विकास एवं इसे शहरी सुविधाओं के अन्तर्गत लाने हेतु क्या कोई विशेष कार्य योजना है; और	**उत्तरः दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** द्वारका विधान सभा क्षेत्र में स्थित सभी वार्डों में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ अधिकृत कालोनिया एवं 60 फुट से छोटी सड़कें आती है जहां पर आवश्यकता अनुसार विकास के कार्य कराए जाते है तथा सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र में साफ सफाई एवं कूड़ का निष्पादन भी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जाता है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने नजफगढ़ क्षेत्र में जिसके अंतर्गत द्वारका विधानसभा क्षेत्र भी आता है, कूड़े को एकत्र एवं निष्पादन आधुनिक तकनीक से करने हेतु निविदाएं आमंत्रित की है।
(ख) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ?	**उत्तरः दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** इस कार्य योजना के तहत सफल ठेकेदार क्षेत्र में ऑटो टिप्पर से कूड़े को गली–गली, सोसाईटीयों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों से एकत्रित करके मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एम. टी.एस) या फिक्सड कम्पेक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफ.सी.टी.एस.) में पहुॅचाएगा। इस व्यवस्था में कुछ ढलावों पर एफ.सी.टी.एस. स्थापित किए जाएंगे। बाकी ढलावों के बदले कूड़ा एम.टी. एस.द्वारा एकत्रित किया जाएगा। जिसके कारण ढ़लावों को साफ सुथरा रखने में

	सुविधा होगी। तत्पश्चात एम.टी.एस. ए. एफ.सी.टी.एस इस कूड़े को सैनेटरी लैंडफिल साईट या वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पर पहुचाएंगे। इस व्यवस्थ में कूड़ा परिवहन के दौरान बिलकुल भी दिखाई नहीं देगा।